

(268)

(144)

मिरौ-५८०४ / सिंगरौली / भू-राज० / २०१८

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा (म०प्र०)



रुपऊआ पुत्री रामनाथ बैसवार पत्नी अंजनी कुमार बैसवार, सा० चिनगी
सिंगरौली
टोला, तहसील-सिंगरौली, जिला— (म०प्र०)

—आवेदिका

बनाम

1. धनवन्ती पुत्री रामनाथ पत्नी रामरक्षा वैश्य
2. धर्मराज पिता रामरक्षा माता धनमन्ती वैश्य
3. ललन पिता रामरक्षा माता धनमन्ती वैश्य
4. मु. हीरामती पत्नी छोटेलाल वैश्य, सा धनमन्ती.
5. गुड़ीया पुत्री छोटेलाल नाबालिंग माता हीरामती
6. कमलेश कुमारी पति मुकलाल प्रजापति,
सभी निवासी चिनगी टोला, तहसील-सिंगरौली, जिला— (म०प्र०)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब
तहसीलदार महोदय वृत्त खुटार तहसील
सिंगरौली के प्रकरण क्र० 189/अ-74/
2017-18 में पारित आदेश दिनांक
04.06.2018 का “पुनश्च” अंश भाग।

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी ने तहसीलदार अमिलिया तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्र. 204/अ-6/03-04 में पारित आदेश दिनांक 26.07.

A.B.M.

(144)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... 8.4504 / राजस्वली / अ-शा. 18 जिला..... फ़िराली

..... सृ. 4504 / राजस्वली / अ-शा. 18 जिला..... फ़िराली
विरुद्ध अन्वरन्नी वैष्णव

..... सृ. 4504 / राजस्वली / अ-शा. 18 जिला..... फ़िराली
विरुद्ध अन्वरन्नी वैष्णव

2

3

1
16.1.19 ~

1. आवेदक की ओर से श्री..... नयं प्रकाश बिहू अधिवक्ता

द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील..... फ़िराली वैष्णव के

प्रकरण क्रमांक..... 18.9.1.अ-न.4 / 20.1.7-18 में पारित आदेश

दिनांक..... 04.06.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-

राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप

अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)

के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... फ़िराली के न्यायालय

को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को

कलेक्टर..... फ़िराली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

✓
सदस्य

प्रकरण क्र. 204 / अ-6 / 03-04 में पारत जाप्ता

P.B.M.
P.M.